धारा 15 : कराधेय पूर्ति का मूल्य

(1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,–

(क) इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनिमय तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्‌गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक रूप में प्रभारित किया गया है;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसी पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किन्तु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैकिंग भी है और माल या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम;

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति; और

(ङ.) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पूर्ति के मूल्य में ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो–

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसी पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है; और

(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि–

(i) ऐसी छूट ऐसी पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जो पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के कारण प्राप्त हुआ है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ऐसे व्यक्तियों को ''संबंधित व्यक्ति'' समझा जाएगा, यदि,–

(i) ऐसे व्यक्ति एक–दूसरे के कारबारों के अधिकारी या निदेशक हैं;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भागीदार हैं;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं;

(iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व या नियंत्रण है या वह उन्हें धारण करता है;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं;

(vii) वे साथ–साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं;

(ख) ''व्यक्ति'' पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी हैं;

(ग) कोई व्यक्ति, जो एक–दूसरे के कारबार से सहबद्ध हैं, जिनमें एक, अन्य व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी रूप में वर्णित हो, है, संबंधित व्यक्ति समझा जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 27, 28, 29, 30, 31, 31क, 32, 32क, 33, 34, 35